

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2022/440

दायरा तिथि : 28.12.2022

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 03.01.2024 फाईनल डिक्री दिनांक: 07-02-2024

वादी:-

बाबाराम पुत्र पूनाजी जाति मीणा

निवासी गुडा गुमान सिंह तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1 चुना पुत्र सोजाजी जाति गरासिया
निवासी कुण्डाल, तहसील बाली जिला पाली (राज0)
- 2 स्व. गुजा पुत्र छोटाजी के कायम मुकाम वारिसान-
 - 2.1-वीरमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
 - 2.2-हेमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
 - 2.3-चन्दन पुत्र स्व. गुजाजी
 - 2.4-सोमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
 - 2.5-दीताराम पुत्र स्व. गुजाजी
 - 2.6-वावरी पुत्री स्व. गुजाजी
 - 2.7-अम्बा पुत्री स्व. गुजाजीजातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
- 3 स्व. देवा पुत्र छोटाजी के कायम मुकाम वारिसान-
 - 3.1-सवाराम पुत्र स्व. देवाजी
 - 3.2-फनु पुत्री स्व. देवाजी
 - 3.3-पावु पुत्री स्व. देवाजीजातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
- 4 स्व. प्रभु पुत्र सोजाजी के कायम मुकाम वारिसान-
 - 4.1- इन्दरा पुत्री स्व. प्रभुजी
 - 4.2- वाली पुत्री स्व. प्रभुजी
 - 4.3- पिन्दु पुत्री स्व. प्रभुजीजातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
- 5 राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री रताराम राठौड अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार..... पैरोकार सरकार

--: निर्णय :-

दिनांक : 07-02-2024

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2352 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.ओडा व खसरा नंबर 2353 रकबा 3.5700 हैक्टर किस्म बरानी दायम कुल लगान 17.85 रूपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 लगाये 04 का (प्रत्येक का 1/8) 1/2 हिस्सा अनुसार बाई एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के सम्बन्ध में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी व नक्शा की प्रति पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगाये 03 बावजूद सूचना तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में आने लगी। प्रतिवादी संख्या 04 के कामु की ओर से वकील श्री विक्रमसिंह सोलंकी को जवाबदावा प्रस्तुती हेतु पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाबदावा का अवसर बंद किया गया। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अद्यतन जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2352 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.ओडा व खसरा नंबर 2353 रकबा 3.5700 हैक्टर किस्म बरानी दायम के अधिकार अभिलेखों में वर्तमान में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 लगाये



उपखण्ड अधिकारी पेश लगातार.....02
पाली (जिला-पाली) राज.

// 02 //

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2022/440

अनवान बाबाराम बनाम चुना वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

04 का (प्रत्येक का 1/8 हिस्सा) 1/2 हिस्सा दर्ज है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के परचात् वाद मे वर्णित भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2352 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.ओडा व खसरा नंबर 2353 रकबा 3.5700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 17.85 रूपये के संबध में रेकॉर्ड में दर्ज वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-01 लगाये 04 का (प्रत्येक का 1/8) 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/120 दिनांक 16.01.2024 से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुए निम्न अनुसार रिपोर्ट पेश की :-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	बाबाराम पुत्र पूनाजी जाति मीणा सा. गुडा गुमानसिंह हि. पूर्ण खातेदार।	2353	1.795	बा. दो.	8.975
	योग	1	1.795	-	8.975
2.	चुना पुत्र सोजाजी हि 1/4 वीरमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 हेमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 चन्दन पुत्र गुजाजी हि 1/28 सोमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 दीताराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 वावरी पुत्री गुजाजी हि 1/28 अम्बा पुत्री गुजाजी हि 1/28 सवाराम पुत्र देवाजी हि 1/12 फनु पुत्री देवाजी 1/12 पाबु पुत्री देवाजी 1/12 ईन्दरा पुत्री प्रमुजी हि 1/12 वाली पुत्री प्रमुजी हि 1/12 पिन्दु पुत्री प्रमुजी हि 1/12 तमाम जातिगण गरासिया सा. कुण्डाल खातेदार।	2352 2353/1	0.02 1.775	गै.मु.ओडा बा. दो.	0 8.875
	योग	2	1.795	-	8.875

तहसीलदार बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री रताराम राठौड ने बहस में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमती व्यक्त करते हुए इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया व वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री व रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही है तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आवागमन के लिए रास्ता इत्यादी की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। जिससे प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत है। अतः माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2352 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.ओडा व खसरा नंबर 2353 रकबा 3.5700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 17.85 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है :-

उपलब्ध अधिपत्री पेज लगातार.....03
बाली (जिला न्यायालय)

// 03 //

राजस्व वाद प्रकरण Gems No. 2022/440

अनवान बाबाराम बनाम चुना वगैरा

अतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	बाबाराम पुत्र पूनाजी जाति भीणा सा. गुडा गुमानसिंह हि. पूर्ण खातेदार।	2353	1.795	बा. दो.	8.975
	योग	1	1.795	-	8.975
2.	चुना पुत्र सोजाजी हि 1/4 वीरमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 हेमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 चन्दन पुत्र गुजाजी हि 1/28 सोमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 दीताराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 वावरी पुत्री गुजाजी हि 1/28 अम्बा पुत्री गुजाजी हि 1/28 सवाराम पुत्र देवाजी हि 1/12 फनु पुत्री देवाजी 1/12 पाबु पुत्री देवाजी 1/12 ईन्दरा पुत्री प्रमुजी हि 1/12 वाली पुत्री प्रमुजी हि 1/12 पिन्दु पुत्री प्रमुजी हि 1/12 तमाम जातिगण गरासिया सा. कुण्डाल खातेदार।	2352	0.02	गै.मु. ओडा	0
		2353/1	1.775	बा. दो.	8.875
	योग	2	1.795	-	8.875

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 17.85 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नोज्यू स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तस्मीन के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

बाली (जिला-पाली) राज.



07-02-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

दालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
मुलास श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

बाबाराम पुत्र पूनाजी जाति मीणा
निवासी गुडा गुमान सिंह तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1 चुना पुत्र सोजाजी जाति गरासिया
निवासी कुण्डाल, तहसील बाली जिला पाली (राज0)
- 2 स्व. गुजा पुत्र छोटाजी के कायम मुकाम वारिसान-
2.1-वीरमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
2.2-हेमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
2.3-चन्दन पुत्र स्व. गुजाजी
2.4-सोमाराम पुत्र स्व. गुजाजी
2.5-दीताराम पुत्र स्व. गुजाजी
2.6-वावरी पुत्री स्व. गुजाजी
2.7-अम्बा पुत्री स्व. गुजाजी
जातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
- 3 स्व. देवा पुत्र छोटाजी के कायम मुकाम वारिसान-
3.1-सवाराम पुत्र स्व. देवाजी
3.2-फनु पुत्री स्व. देवाजी
3.3-पाबु पुत्री स्व. देवाजी
जातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
- 4 स्व. प्रमु पुत्र सोजाजी के कायम मुकाम वारिसान-
4.1- इन्दरा पुत्री स्व. प्रमुजी
4.2- वाली पुत्री स्व. प्रमुजी
4.3- पिन्दु पुत्री स्व. प्रमुजी
जातिगण- गरासिया निवासीगण- कुण्डाल तहसील बाली जिला पाली (राज.)
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री रताराम राठौड अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार..... पैरोकार सरकार

राजस्व वाद संख्या 2022/440

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिव पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-
पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2352 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.ओडा व खसरा नंबर 2353 रकबा 3.5700 हैक्टर किस्म वारानी दायम कुल लगान 17.85 रुपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईलन डिक्री जारी की जाती है -

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	बाबाराम पुत्र पूनाजी जाति मीणा सा. गुडा गुमानसिंह हि. पूर्ण खातेदार।	2353	1.795	वा. दो.	8.975
	योग	1	1.795	-	8.975
2.	चुना पुत्र सोजाजी हि 1/4 वीरमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 हेमाराम पुत्र गुजाजी हि	2352	0.02	गै.मु. ओडा	0

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली राज



1/28 चन्दन पुत्र गुजाजी हि 1/28 सोमाराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 दीताराम पुत्र गुजाजी हि 1/28 वावरी पुत्री गुजाजी हि 1/28 अम्बा पुत्री गुजाजी हि 1/28 सवाराम पुत्र देवाजी हि 1/12 फनु पुत्री देवाजी 1/12 पाबु पुत्री देवाजी 1/12 ईन्दरा पुत्री प्रभुजी हि 1/12 वाली पुत्री प्रभुजी हि 1/12 पिन्दु पुत्री प्रभुजी हि 1/12 तमाम जातिगण गरासिया सा. कुण्डाल खातेदार।	2353/1	1.775	वा. दो.	8.875
योग	2	1.795	-	8.875

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 17.85 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।



(भुगीरथ राम)
 उपखण्ड अधिकारी
 सहायक कलेक्टर एवं पटवारी (बीजापुर)
 उपखण्ड अधिकारी, बाली